संख्या– 194 प0अ0 / 2004–286 पर्य0 / 2003

प्रेषक,

श्री एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग–

देहरादून:दिनांक 17 मार्च, 2004

विषय– वित्तीय वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2003–04 के अन्तर्गत पर्यटन विकास परिषद के अधीन गठित उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के अधिष्ठान व्यय हेतु रू0 48.00 लाख (रूपये अड़तालीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय के निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्यय मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल यावित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उपकरणों / सामग्रियों / वाहनों आदि का क्रय डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों पर किया जायेगा और उक्त दरें न होने पर टेन्डर / कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

4– वाहनों का क्रय डी0जी0एस0एण्डडी0 की दर पर व्यापार कर की छूट हेतु फार्म डी0 निष्पादित करके किया जायेगा।

5– कम्प्यूटर आदि के क्रय के पूर्व एन0आई0सी0 / आई0टी0 की संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनॉक 31–3–2004 तक कर लिया जायेगा एवं यदि कोई धनराशि उक्त तिथि तक अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो उक्त कार्य का आगणन गठित कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन कराकर ही धनराशि का व्यय किया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण /उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9– स्वीकृत कर जा रही धनराशि के व्यय के उपरांत मदवार व्ययविवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

10– व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

11– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–ओजनागत–104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार–16–पर्यटन विकास परिषद का गठन–00–42–अन्य व्यय के नामें के नामें डाला जायेगा।

12– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–3/59/वि0अनु0–3/2004 दिनॉक /6 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

पृ0प0सं0– प0अ0/2004 –286 पर्य0/2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त , उत्तरांचल शासन।
5– वित्त अनुभाग–3।
6– एन0आई0सी0 सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।